हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.2(49)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्रबो–II/2021/ 7213 दिनांक : 18/02/2021

प्रबंध बोर्ड की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित प्रबंध बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 09.02.2021 को अपराह्न 03.00 बजे "मंथन" सभागार, द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2.	प्रो. राजीव जैन	कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3.	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4.	श्री देवाराम शिवरान	कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) एवं नाम निर्देशित प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5.	श्री संदेश नायक	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
6.	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं पदेन सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7.	श्री संयम लोढा	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
8.	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर (ऑनलाइन सम्मिलित)
9..	श्री वसीन्द्र मिश्र	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10.	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
11.	श्री अमर सिंह राठौड	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
12.	डॉ. अजय कुमार सिंह	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तदुपरान्त पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है:–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
2–1	विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि	अनुपालना रिपोर्ट पर विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजीव जैन द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक के कार्यसूची संख्या 1–15, जिसमें विद्यापरिषद के कार्यवाही विवरण के बिन्दु 1–11(ii) के अनुमोदनानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के 7 पी.एचडी. शोधार्थियों के पंजीकरण संबंधी कार्यवाही राजस्थान विश्वविद्यालय में ही हो जाने के विधिसम्मत तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त शोधार्थियों को पुनः राजस्थान विश्वविद्यालय में लौटाये

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

		जाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही उनके द्वारा उन शोधार्थियों को कतिपय मामलों में एचजेयू का यथासंभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए MOU करने की अपेक्षा से अवगत कराया। इस पर सभी सदस्यों ने MOU करने पर सहमति प्रकट की।
2–2	वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.08.2020 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 08.02.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	विचार–विमर्श उपरान्त दोनों बैठकों के कार्यवाही विवरणों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2–3	विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के हित में किए जाने वाले टेलिफोन/मोबाइल फोन आदि के व्यय के पुनर्भरण हेतु जारी आदेश क्रमांक 1011 दिनांक 07.12.2019, आदेश क्रमांक 4163 दिनांक 08.09.2020 एवं आदेश क्रमांक 4548 दिनांक 05.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेशों की पुष्टि की गई।
2–4	विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक के निर्णय अनुरूप परीक्षक के रूप में आमंत्रित स्थानीय विशेषज्ञों (इस विश्वविद्यालय के सेवारत शिक्षकों के अलावा) हेतु स्थानीय यात्रा भत्ता दिए जाने तथा आदेश भूतलक्षी प्रभाव से (विश्वविद्यालय स्थापना से) लागू किए जाने सम्बन्धी संशोधन आदेश क्रमांक 3442 दिनांक 18.07.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई। प्रो. अपूर्वानन्द का सुझाव था कि निर्धारित भत्ता कम विदित होता है, आवश्यकता होने पर इसे युक्तियुक्त बनाने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाए। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।
2–5	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17(1)(क), धारा 17(2) के प्रावधानों के अनुसरण आदेश क्रमांक 2331 दिनांक 29.02.2020 को अधिक्रमित करते हुए सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग को विश्वविद्यालय के सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के आदेश क्रमांक 4933 दिनांक 05.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–6	विश्वविद्यालय को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 4225 दिनांक 27.09.2020 द्वारा ग्राम दहमीकलां के संस्थानिक प्लॉट सं. 7 क्षेत्रफल 110901.76 वर्गमीटर एवं इसके साथ लगते हुए दक्षिणी दिशा की ओर स्थित रिजर्व भूखण्ड, जिसका क्षेत्रफल 12725 वर्गमीटर है, को सम्मिलित करते हुए कुल क्षेत्रफल 123626.76 वर्गमीटर भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुमोदन/पुष्टि।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2–7	विश्वविद्यालय को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक 4343 दिनांक 04.10.2019 कब्जा पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय को कुल आवंटित भूमि 123626.76 वर्गमीटर का भौतिक आधिपत्य (कब्जा) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक जविप्रा/जो–12/19/डी–दिनांक 21.10.2020 द्वारा कुलसचिव, एचजेयू, जयपुर को संभलवाया गया, तदनुसार कब्जा पत्र एवं भौतिक आधिपत्य पत्र का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2–8	विश्वविद्यालय के भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल आदि के निर्माण के लिए नोडल एजेन्सी नियुक्त करने हेतु पत्र क्रमांक प(6)एचजेयू/जीएडी/Forecast Est./2019/1994 दिनांक 14.02.2020 द्वारा शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निवेदन के अनुरूप पत्र क्रमांक प.15(1)/शिक्षा–4/2018 दिनांक 06.03.2020 द्वारा आवंटित भूमि पर भवन आदि के निर्माण कार्य कराने हेतु "राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (RSRDC) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है, का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2–9	विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर चारदीवारी आदि की कार्रवाई किए जाने बाबत RSRDC के पत्र क्रमांक 433 दिनांक 07.07.2020 द्वारा कार्य का तकमीना राशि रू. 165.51 लाख के अनुमोदन एवं राशि जारी किए जाने के निवेदन के क्रम में पत्र क्रमांक 3829 दिनांक 13.08.2020 द्वारा RSRDC, जयपुर को कार्यादेश एवं रू. 165.00 लाख नोडल एजेन्सी RSRDC को हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति/अनुमोदन/पुष्टि हेतु।	सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India

+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

2–10	विश्वविद्यालय के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ वास्तुशिल्प का बेहतर उदाहरण एवं पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के विशेषीकृत स्वरूप की मूल भावना को संप्रेषित करने वाले भवन निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, RSRDC, जयपुर द्वारा पूर्व में निर्मित मानचित्र के अतिरिक्त बाह्य सलाहकार वास्तुकारों से भी एकाधिक मानचित्र के प्रारम्भिक प्रस्ताव EOI के माध्यम से बनवाये जाकर विश्वविद्यालय के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्रमांक 4018 दिनांक 26.08.2020 द्वारा दिया गया आदेश अनुमोदन/पुष्टि हेतु।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव की पुष्टि की गई। प्रो. अपूर्वानन्द का सुझाव था कि एक भवन–निर्माण समिति गठित की जाए, जो भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्यों का परीक्षण एवं समन्वय करेगी। इस समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल किए जा सकते हैं। समिति के सदस्यों का सुझाव था कि RSRDC को एक पत्र दिया जाए कि भविष्य में भवन निर्माण सम्बन्धी मसलों पर विश्वविद्यालय से अनुमोदन उपरान्त ही कार्य सम्पादन किया जाए। श्रीमती सुनीता ऐरन का सुझाव था कि पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक इमारत का स्थापत्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त सुझावों से सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।
2–11	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निदेशक के पद पर चक्रांत (रोटेशन) प्रणाली लागू किए जाने तथा वरीयता अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं पीएच–डी योग्यता धारक असिस्टेंट प्रोफेसर को कार्य– निष्पादन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए पदस्थापित किए जाने संबंधी नीतिगत निर्णय के आदेश क्रमांक 5077 दिनांक 28.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई। श्री संयम लोढा एवं अन्य सदस्यों का सुझाव था कि निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष किया जाना चाहिए तथा भविष्य में उपलब्धतानुसार प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर को ही निदेशक के पद पर लगाया जाए।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

		सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।
2–12	विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 5077 दिनांक 28.11.2020 के क्रम में डॉ. अजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर को शैक्षणिक परिसर के निदेशक के पद पर पदस्थापित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 5087 दिनांक 28.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–13	विश्वविद्यालय में तात्कालिक आवश्यकता के लिए सेवानिवृत अनुभागाधिकारी श्री प्रदीप कुमार पुरोहित की सहायक कुलसचिव तथा सेवानिवृत निजी सचिव श्री महेश शर्मा की निजी सचिव, कुलपति के पद पर पुनर्नियुक्ति आदेश क्रमांक 3849 दिनांक 17.08.2020 एवं 4862 दिनांक 28.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेशों की पुष्टि की गई।
2–14	विश्वविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण में विभिन्न पदों पर प्राप्त स्वीकृति अनुसार नियमित भर्ती के प्रस्ताव क्रमांक 7118 दिनांक 08.02.2021 का अनुमोदन	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–15	राज्य सरकार द्वारा प्रथम व द्वितीय चरण में विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती हेतु आवश्यक अर्हताओं एवं वांछित (Desirable) योग्यताओं का निर्धारण यूजीसी/राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राजस्थान सरकार के प्रावधान अनुरूप (संलग्नानुसार) निर्धारित की गई है। उक्त अर्हताओं/योग्यताओं में आंशिक संशोधन कुलपति महोदय अपने स्तर पर कर भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अधिकृत होंगे।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। श्री संयम लोढा ने कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक एवं कम्प्यूटर कौशल को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार संशोधित करने की जरूरत पर बल दिया। प्रो. अपूर्वानन्द ने सुझाव दिया कि गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए, जो विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए इनकी अर्हताओं/ योग्यताओं के अन्तिमीकरण कार्य करेगी। तदुपरान्त कुलपति महोदय से अनुमोदन करवाकर विज्ञप्ति जारी की जाए। जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जाहिर की।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–16	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 राज्य विधानमण्डल में रखे जाने का प्रावधान है। उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा तत्काल चाहने की स्थिति में कुलपति महोदय को अधिनियम की धारा 11(19) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर प्रेषित पत्रांक 6518 दिनांक 06.01.2021 मय अनुलग्नक की पुष्टि।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2–17	विश्वविद्यालय हेतु सत्र 2020–21 के लिए अवकाश कलैण्डर का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2–18	विद्यापरिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 06.02.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2–19	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से	

आखिर में बैठक में विचार–विमर्श अनुसार तत्काल तैयार कार्यवाही विवरण की सहमति पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
2	प्रो. राजीव जैन	कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
3	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
4	श्री देवाराम शिवरान	कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
5	श्री संदेश नायक	आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
6	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं पदेन सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7	श्री संयम लोढा	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
8	श्रीमती सुनीता ऐरन	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	Participated Online
9	श्री वसीन्द्र मिश्र	कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
10	प्रो. अपूर्वानन्द	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
11	श्री अमर सिंह राठौड़	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]
12	डॉ. अजय कुमार सिंह	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर	[signature]

[signature]
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

[signature]
कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)